राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.18(46) नविवि/विविध/2019 जयपुर, दिनांक - 4 DEC 2020

आदेश

रियायती दरों पर विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया है। इन भूमियों में चिकित्सा संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान आदि विभिन्न संस्थाओं को आंवटित भूमि का भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। भौतिक सत्यापन में भू–आवंटन नीति–2015 के अनुसार सभी आवंटनों, चाहे वह 2015 की नीति के अंतर्गत हुये हैं अथवा पूर्व में किसी भी नीति के अंतर्गत हुये हैं, सूचना उपलब्ध करायी जानी है कि इनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं और जिन वर्णित शर्तों की पालना आवश्यक है उनकी पालना हो रही है या नहीं? जिन–जिन शर्तों की पालना आवश्यक है, उनका विवरण भू–आवंटन नीति 2015 के पैरा 6 एवं 7 में वर्णित है।

वैसे तो भौतिक सत्यापन की कार्यवाही भू–आवंटन नीति के अनुसार स्वतः ही पैरा 7.6 के अनुसार गठित समिति सदस्यों के माध्यम से नियमित तौर पर नगरीय निकायों को करनी चाहिए फिर भी जो सत्यापन से शेष हैं, उनके भी भौतिक सत्यापन की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर पूर्ण करली जावे। भौतक सत्यापन के उपरांत आवंटित भूमि जिसका उपयोग भिन्न प्रयोजन में हो रहा है या आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, उनमें आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही भू–आवंटन नीति–2015 के पैरा 7.9 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अविलम्ब की जावें। आवंटन निरस्त करने के आदेश के तीन दिन के भीतर भूमि का भौतिक कब्जा भी लिया जावे।

भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट में जिन संस्थाओं को आवंटित भूमि का सही उपयोग व शर्तों की पालना होना बताया जावे उनके बाबत उक्त समिति में शामिल प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रत्येक भू–आवंटन बाबत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे कि संस्था की भूमि सही उपयोग में आ रही है और आवंटन शर्तों की पालना हो रही है।

यदि कहीं आंवटित भूमि के भिन्न उपयोग का प्रकरण या शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण बाद में जानकारी में आता है और ऐसे प्रकरण की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम